न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू, जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–123/2018

वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–17.09.2018

उनवान

1.कन्हैयालाल पुत्र धुल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम नाथड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक

2.सीता पुत्री धुल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक

3.सोहनी पुत्री धुल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक

4.रामलाल पुत्र मेवा जाति बैरवा निवासी ग्राम नाथड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक

5.धन्ना पुत्र मेवा जाति बैरवा निवासी ग्राम नाथड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1.तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक (राज.)
2.राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, टोंक (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89,90, 91 राज.टि.एक्ट 1955

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण–राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांक–28.08.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण मेवा पुत्र श्योदाना बैरवा के वारिसान हैं मेवा पुत्र श्योदान बैरवा को ग्राम नाथड़ी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned by CamScanner

में सिवायचक भूमि ख0न0 482/1 में से 11 बीघा भूमि दिनांक 26.06.1965 को भूमि वितरण कमेठी काशीपुरा द्वारा काश्त हेतु भूमि आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत अलाट की गई थी। अलाट की गई भूमि की पट्टा फिस जमा कराने के उपरान्त पट्टा जारी किया गया था।तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 90 द्वारा आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में मेवा पुत्र श्योदाना बैरवा के नाम आराजी ख0न0 482/2 रकबा 11 बीघा का गैर खातेदारी का इन्द्राज कर दिया गया था। दौराने सेंटलमेंट ख0न0 482 के नये ख0न0 576, 577, 578, 580 बनाये गयें। सेंटलमेंट के पश्चात वादीगण के पिता व पितामह मेवा के नाम आवंटित 11 बीघा भूमि के स्थान पर 07 बीघा 13 बिस्वा भूमि ही बतौर ख0न0 576 दर्ज की गई। सेंटलमेंट अधिकारीयों व कर्मचारियों को रकबा कम करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके द्वारा किया गया अंकन अवैध व त्रुटीपूर्ण हैं 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि कम कर ख0न0 577 में शामिल कर जो इन्द्राज सेंटलमेंट अधिकारीयों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया हैं वह गलत हैं वादीगण का कब्जा काश्त 11 बीघा भूमि पर ही हैं कम की गई 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि को वादीगण कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिसके लिए वादीगण ने ख0न0 577/1 वाकै ग्राम नाथड़ी में से 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्राप्त करने एवं रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता राजकीय पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सेंटलेमेंट द्वारा आवंटित भूमि के 11 बीघा के रकबे को कम किया जाना तथा कम की गई 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि को ख0न0 577 में शामिल किया जाना मौखिक रूप से स्वीकार किया हैं। वादी ने अपने वाद पत्र के सम्बध में नकल जमाबन्दी हाल खाता 08 संवत् 2072–75, नकल जमाबन्दी संवत् 2019–22 , सम्पूर्ण आंवटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति, नामान्तकरण संख्या 90 की प्रति, मिलान क्षैत्रफल की प्रति, तरमीम शीट की प्रति, दिनांक 01.07.1972 कार्यालय उपजिलाधीश, टोंक के आदेश की प्रति, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 100 संवत् 2035–38 की प्रति, लगान की प्रति, खाता संख्या 39 संवत् 2064–67 की जमाबन्दी की प्रति, नक्शा शीट की प्रति, खसरा गिरदावरी की प्रति, दफा 80 के नोटिस के प्रति, रजिस्टर्ड एडी की रसीदें पेश की हैं। जो प्रर्दश 01 लगायत 17 हैं। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप अपना स्वयं का शपथ पत्र व स्वतन्त्र गवाहों के शपथ पत्र पेश किये। जो शामिल पत्रावली हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned by CamScanner

हमने बहस अभिभाषक वादी व पैरोकार सरकार सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् व कानुनी नजीरों का अवलोकन किया। आवंटन पत्रावली से मेवा पुत्र श्योदान को ख0न0 482/1 वाकै ग्राम नाथड़ी में दिनांक 26.06.1965 को 11 बीघा भूमि आंवटित किया जाना तथा नामान्तकरण संख्या 90 से 11 बीघा भूमि गैर खातेदारी में दर्ज किया जाना प्रकट होता हैं। मिलान क्षैत्रफल से आराजी ख0न0 482 के नये ख0न0 576, 577, 578, 580 बनाया जाना स्पष्ट होता हैं। सेंटलेमेंट पश्चात आवंटित 11 बीघा भूमि के स्थान पर 07 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी दिया जाना जमाबन्दी खाता संख्या 100 संवत् 2035–38 से प्रमाणित हैं। सेंटलमेंट विभाग एवं कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को रकबा कम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा न0 577/2 वाकै ग्राम नाथड़ी में से वादीगण को 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार वादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

Scanned by CamScanner